

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 18

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)


श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री सुखलाल
निवासी सज्जनगढ, बांसवाड़ा, (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स मुकेश कुमार सुखलाल
किराणा स्टोर, सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26-02-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 26-04-2023 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मुकेश कुमार सुखलाल किराणा स्टोर, सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री सुखलाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स मुकेश कुमार सुखलाल किराणा स्टोर, सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में बेसन (नोन ब्राण्डेड) 500 ग्राम के करीब 20 नंग पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त बेसन (नोन ब्राण्डेड) में गुणवत्ता की कमी एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए बेसन (नोन ब्राण्डेड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 किलोग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 200/-रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा बेसन (नोन ब्राण्डेड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार किये प्रत्येक लेबल पर मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं हस्ताक्षर किये। उक्त लेबल में से एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)


व प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड क्रमांक W-1386 गोंद से नियमानुसार चारो नमूना पैकेट के मुह से पैदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद किया, एक सील नमूना प्लास्टिक के डिब्बे से मुह पर , एक सील पैदे पर, दो नमूना की बॉडी पर जहाँ पर धागे की गाठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सील मुहर किया। मालिक व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये नियमानुसार नमूना लेकर चारो सील बन्द नमूना को अपने जाब्लें में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/311 दिनांक 24-05-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 499 दिनांक 15-05-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बेसन (नोन ब्राण्डेड) का नमूना कोड क्रमांक W-1386 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा बेसन (नोन ब्राण्डेड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12-02-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।




न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.मिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/311 दिनांक 24-05-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 499 दिनांक 15-05-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया बेसन (नोन ब्राण्डेड) का नमूना कोड क्रमांक **W-1386** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया बेसन (नोन ब्राण्डेड) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री सुखलाल निवासी सज्जनगढ, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मुकेश कुमार सुखलाल किराणा स्टोर, सज्जनगढ, जिला बांसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 26-02-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)